

for 2007-08
08-09

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

कमाक : एफ 4 (23) लेखा/आकाशि/अनु/2007-08/1702

दि 9 मई, 2007

आदेश

सत्र 2007-08 में महिला क्षेत्र में नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर निजी क्षेत्र में नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु निम्नांकित शर्तों पर निम्नलिखित संस्थाओं को उनके नाम के सम्मुख अंकित संकाय/विषय हेतु एक वर्ष के लिए अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है -

क्र. सं.	पत्रा. सं०	संस्था का नाम व पता	महाविद्यालय का नाम व पता	विश्वविद्यालय का नाम	विषय एवं संकाय (स्नातक स्तर)
1	15	मनिन्द्र बाल निकेतन समिति, चनाना, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनू	मनिन्द्र गर्ल्स कॉलेज, चनाना, त. चिडावा, जिला झुंझुनू	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	कला संकाय में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त अंग्रेजी साहित्य, हिन्दी साहित्य, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, लोक प्रशासन, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, राजस्थानी, बोकेशनल कोर्स कम्प्यूटर एप्लीकेशन
2	12	स्व.कु. लक्ष्मी बंधाला शिक्षण एवं शोध संस्थान, गोविन्द गढ, जि० जयपुर	स्व.कु. लक्ष्मी बंधाला गर्ल्स कॉलेज, गोविन्दगढ, जि० जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	कला संकाय में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त - अंग्रेजी साहित्य, हिन्दी साहित्य, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, लोक प्रशासन, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, बोकेशनल कोर्स कम्प्यूटर एप्लीकेशन, संस्कृत साहित्य
3	20	राधाकृष्णन शिक्षण समिति, 49, लक्ष्मीनगर, श्रीगंगानगर	राधाकृष्णन कन्या महाविद्यालय, गगनपथ, जवाहर नगर (अरोड वंश भवन), श्रीगंगानगर	बीकानेर विश्वविद्यालय बीकानेर	कला संकाय में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त - अंग्रेजी साहित्य, हिन्दी साहित्य, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, लोक प्रशासन, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, दर्शन शास्त्र, संस्कृत साहित्य एवं बी.सी.ए. बी.बी.ए.
4	6	न्यू लुक स्कूल सोसायटी, न्यू लुक स्कूल, कोठारी हबेली, ओसवाल बाडा, बांसवाडा	न्यू लुक गर्ल्स कॉलेज, लोधा परिसर, बांसवाडा	एम.एल.एस. विश्वविद्यालय उदयपुर	कला संकाय में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त - अंग्रेजी साहित्य, हिन्दी साहित्य, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, संस्कृत साहित्य, उर्दू साहित्य, चित्रकला, दर्शन शास्त्र, संगीत वाणिज्य संकाय में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त- ईएफएम, एबीएसटी, व्यावसायिक प्रशासन विज्ञान संकाय में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, गणित, भौतिक शास्त्र, बायोटेक्नालाजी, बायोकेमिस्ट्री

- संस्था को एक वर्ष की अवधि में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार स्वयं की भूमि पर भवन/निर्माण का कार्य पूर्ण करना होगा तथा अन्य आधारभूत संरचना के कार्य भी पूर्ण करने होंगे। तत्पश्चात संस्था को इसके निरीक्षण हेतु इस कार्यालय को सूचित करना होगा।
- संस्था/महाविद्यालय को यू.जी.सी. द्वारा समय-समय पर जारी विनियमों/दिशा-निर्देशों की शब्दशः पालना करनी होगी।
- अस्थाई परिसर में संस्था/महाविद्यालय को प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी तथा प्रथम वर्ष/पूर्वाद्धकी कक्षाएँ चलाने हेतु पर्याप्त भवन उपलब्ध होना आवश्यक है। इसी प्रकार अगले वर्षों में चलायी जाने वाली कक्षाओं के लिए तदनुसार वर्ष में भवन उपलब्ध होना आवश्यक है।
- शिक्षण व अन्य शुल्क बाबत राज्य सरकार के निर्णयों को लागू करने हेतु संस्था व महाविद्यालय बाध्य होंगे।
- छात्रों के प्रवेश से पूर्व महाविद्यालय को सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता (Affiliation) प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- स्वीकृत पाठ्यक्रमों हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- महाविद्यालय में प्रवेश प्रदान करने से पूर्व निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सुविधाओं को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सम्बद्धन प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय की होगी।

आदेश

निम्नलिखित महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकादमी सत्र 2008-09 हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है-

क्र.सं.	पत्रा. सं.	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय का पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	विषय/ संकाय
1	444	न्यू लुक गर्ल्स कालेज	लोधा परिसर, बांसवाडा	एम.एल.एस. विश्वविद्यालय, उदयपुर	पूर्व संचालित विषय संकाय

1. संस्था सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी.सी.आई. से विश्वविद्यालय सम्बद्धता पर अनुमोदन भी प्राप्त करेगी ।
2. महाविद्यालय द्वारा सत्र 2009-10 में केवल पार्ट द्वितीय/तृतीय/स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध और सत्र 2010-11 में केवल पार्ट तृतीय में छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा ।
3. आगामी सत्रों में पार्ट प्रथम/स्नातकोत्तर पूर्वाद्ध पुनः प्रारम्भ करने हेतु राजस्थान गैर राजकीय शैक्षिक संस्था नियम 1993 के नियम 5 (i) एवं परिशिष्ट - द्वितीय में उल्लिखित भूमि भवन, स्टाफ व अन्य समस्त शर्तों की पूर्ण अनुपालना नियमानुसार सुनिश्चित करने के उपरान्त ही नये सिरे से निर्धारित समय पर निर्धारित प्रक्रिया से आवेदन प्रस्तुत कर पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा ।
4. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी ।
5. संस्था राज्य सरकार एवं कॉलेज शिक्षा के सभी निर्देशों की पालना करेगी ।
6. संस्था भविष्य में समय पर सभी मापदण्डों की पूर्ति कर एन.ओ.सी. अभिवृद्धि करने हेतु आवेदन करेगी ।
7. संस्था प्राचार्य एवं व्याख्याताओं की नियुक्ति पर सम्बद्ध विश्वविद्यालय का अनुमोदन प्रस्तुत करेगी ।
8. संस्था आयुक्तालय से सांख्यिकी पुस्तिका प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयान्तर में जमा करायेगी ।

(पवन कुमार गौयल)
आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, मा० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, मा० उच्च शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
4. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
5. जिला कलेक्टर, बांसवाडा ।
6. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
7. कुल सचिव, एम.एल.एस. विश्वविद्यालय, उदयपुर ।
8. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय (रजिस्टर्ड ए.डी.)
9. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
10. संबंधित संस्था/ महाविद्यालय पत्रावली ।
11. रक्षित पत्रावली ।

SECRETARY
New Look School Society
Reg. No.-336/79-80
Banswara (Raj.)

PRINCIPAL
New Look Girl's PG College
Lodha, Banswara (Raj.)

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 4 (205-9/18) आपनशि/अनु/2007/1290

दिनांक: 30/7/21

आदेश

निम्नलिखित महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकादमी सत्र 2009-10 हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है-

क्र.सं.	पत्रा. सं.	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय का पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	विषय/ संकाय
1.	18	न्यू लुक गिरल्स कॉलेज	लोधा परिसर, बांसवाड़ा	एम एल एस विश्वविद्यालय, उदयपुर	पूर्व संचालित संकाय एवं विषय तथा नवीन, विषय- बीबीएम, पीजीडीसीए

1. संस्था सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी.सी.आई. से विश्वविद्यालय सम्बद्धता पर अनुमोदन भी प्राप्त करेगी।
2. आभागी सत्रों में पार्ट प्रथम/स्नातकोत्तर पूर्वाद्ध पुनः प्रारम्भ करने हेतु राजस्थान गैर राजकीय शैक्षिक संस्था नियम 1993 के नियम 5 (i) एवं परिशिष्ट - द्वितीय में उल्लिखित भूमि भवन, स्टाफ व अन्य समस्त शर्तों की पूर्ण अनुपालना नियमानुसार सुनिश्चित करने के उपरान्त ही नये सिरे से निर्धारित समय पर निर्धारित प्रक्रिया से आवेदन प्रस्तुत कर पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
3. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं दगी।
4. संस्था राज्य सरकार एवं कॉलेज शिक्षा के सभी निर्देशों की पालना करेगी।
5. संस्था भविष्य में समय पर सभी मापदण्डों की पूर्ति कर एन.ओ.सी. अभिवृद्धि करने हेतु आवेदन करेगी।
6. संस्था प्राचार्य एवं व्याख्याताओं की नियुक्ति पर सम्बद्ध विश्वविद्यालय का अनुमोदन प्रस्तुत करेगी।
7. संस्था आयुक्तालय से संबंधित मुस्तिका प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयवाधि में जमा करायेगी।

(संनीप वर्मा)
आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, माओ उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, उदयपुर।
5. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. कुल सचिव, एम एल एस विश्वविद्यालय, उदयपुर।
7. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय (रजिस्टर्ड ए.डी.)
8. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. संबंधित संस्था/ महाविद्यालय पत्रावली।
10. रक्षित पत्रावली।

सचिव
प्रमुख समिति
न्यू लुक गिरल्स कॉलेज
बांसवाड़ा (राज.)

संयुक्त-निदेशक (अनुदान)

SECRETARY
New Look School Society
Reg. No.-33679-80
Banswara (Raj.)

PRINCIPAL
New Look Girl's PG College
Lodha, Banswara (Raj.)

राजस्थान सरकार

उच्च शिक्षा

कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

कमांक : एफ 4 (18) आकाशि/अनु/07/1087

दिनांक 6/8/10

आदेश

निम्नलिखित महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकादमी सत्र 2010-11 हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र में सराई अभिवृद्धि निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है-

क्र.सं.	पत्रा. सं.	महाविद्यालय का नाम व पता	सम्बन्ध विश्वविद्यालय	विषय/ संकाय
1	18	न्यू लुक गर्ल्स कालेज, लोधा कैम्पस, बांसवाड़ा	मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर	पूर्व आयंटित संकाय एवं विषय

- संस्था सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी.सी.आई. से गान्ध्या च विश्वविद्यालय से सम्बद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी।
- संस्था को स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु मापदण्ड पूर्ण कर अगले सत्र से पहले निर्धारित अवधि में अनिर्धार रूप से विभाग को आवेदन प्रस्तुत करना होगा. अन्यथा मापदण्डों के अभाव में संस्था के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जायेगी।
- स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु मापदण्ड :-
 - यूजीसी योग्यताधारी स्थायी स्टाफ पर सम्बन्धित विश्वविद्यालय से अनुमोदन
 - मानदण्डानुसार संस्था के नाम भूमि व भवन
 - स्टाफ का बैंक द्वारा वेतन का भुगतान
 - समस्त स्टाफ की पी.एफ. कटौती
 - समुचित छात्र सुविधाओं का विकास
- राज्य सरकार संस्था को वर्तमान य भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
- संस्था राज्य सरकार एवं कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा दिये गये सभी आदेशों/निर्देशों की पालना करेगी।
- संस्था द्वारा सूचना का अधिकार के अन्तर्गत आवेदक को आवश्यक रूप से सूचना उपलब्ध करानी होगी।
- संस्था प्राचार्य एवं व्याख्याताओं की नियुक्ति पर सम्बन्धित विश्वविद्यालय का अनुमोदन प्रस्तुत करेगी।
- संस्था आयुक्तालय से सांख्यिकी पुस्तिका प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयोपधि में जमा करायेगी।
- मापदण्डों की अधिक जानकारी हेतु विभाग की वेबसाइट www.collegeeducation.rajasthan.gov.in का अवलोकन करें।

(Signature)
आयुक्त,

कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- निजी सचिव, गा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- जिला कलेक्टर, बांसवाड़ा।
- निरीक्षिका, उच्च शिक्षा (गुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- शुद्ध सचिव, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर।
- सचिव, सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय
- सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- शिक्षा पत्रावली।

(Signature)
सचिव
प्रबन्ध समिति
न्यू लुक गर्ल्स कॉलेज
बांसवाड़ा (राज.)

(Signature)
संयुक्त-निदेशक (अनुदान)

(Signature)
SECRETARY
New Look School Society
Reg. No.-336/79-80
Banswara (Raj.)

(Signature)
PRINCIPAL
New Look Girl's PG College
Lodha, Banswara (Raj.)

उच्च शिक्षा
राजस्थान-सरकार

निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 4 (पॉलिस्की) आकाशि/अनु/09/189

दिनांक:- 3/3/2011

आदेश

निम्नलिखित महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकादमी सत्र 2011-12 के लिए अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र में सशर्त अभिवृद्धि निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है-

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम व पता	संबंधित महाविद्यालय का नाम	विषय संकाय (नवीन विषय केवल स्नातक स्तर पर)
1	विनायक गर्ल्स कॉलेज चौमु जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व आवंटित विषय/संकाय एवं नवीन विषय संकाय-वाणिज्य (बीएससी, ईएफएम, बिजनेस एड्0.)
2	गुडा बालिका महाविद्यालय, गुडागोडजी, झुझरू	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व आवंटित विषय/संकाय
3	श्री बाक बिहारी महाविद्यालय, धौलपुर रोड, राजाखेडा- धौलपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व आवंटित विषय/संकाय
4	रामचन्द्र गोयनका डिग्री कॉलेज, इण्डलोद, झुझरू	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व आवंटित विषय/संकाय
5	आर्च एकेडमी ऑफ फेशन आर्ट एण्ड डिजाईन, 9, गोविंद मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व आवंटित विषय/संकाय एवं नवीन विषय संकाय बीवीए
6	एक्सीलेंस गर्ल्स कॉलेज, सालासर रोड, नेहरू पार्क के सामने, सीकर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व आवंटित विषय/संकाय एवं नवीन विषय संकाय-बीएससी-बॉयलाजी,
7	न्यु लुक गर्ल्स कॉलेज, लोधा केम्पस, बॉसवाडा	मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर	पूर्व आवंटित विषय/संकाय
8	नाथद्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेन्ट उपली ओडन, नाथद्वारा जिला राजसमन्द	मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर	पूर्व आवंटित विषय/संकाय एवं नवीन विषय संकाय-बीएससी मैथेमेटिक्स यूजी डीप्लोमा टेक्स्टाईल डिजाईनिंग, कैंपीटल मार्केट, फाईनेंसियल मार्केट, अंग्रेजी भाषा
9	अरावली महाविद्यालय, कस्टम चौराहा, दाहोद रोड, वन विभाग के सामने, बॉसवाडा	मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर	पूर्व आवंटित विषय/संकाय एवं नवीन विषय संकाय-बीएससी-केमेस्ट्री, बायोलॉजी बीए-चित्रकला, सोसियोलॉजी, हिस्ट्री, संस्कृत, अंग्रेजी साठ, दर्शन शास्त्र, लोक प्रशास
10	एल.बी.एस महाविद्यालय, देवगढ दरवाजा, प्रतापगढ	मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर	पूर्व आवंटित विषय/संकाय एवं नवीन विषय संकाय-माईको बॉयलाजी, अर्थशास्त्र
11	एमिनेन्ट एकेडमीक गर्ल्स कॉलेज, जयपुर रोड, डिग्री मालपुरा, टोंक	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर	पूर्व आवंटित विषय/संकाय
12	भगवान महावीर कॉलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, 41 हीरा नगर, गापोलपुरा बाईपास, जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व आवंटित विषय/संकाय
13	सन्त श्री प्राणनाथ परनामी पी.जी महाविद्यालय, जैतसर रोड, पदमपुर, श्रीगंगानगर	महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर	पूर्व आवंटित विषय/संकाय एवं नवीन विषय संकाय-कला (कम्प्युटर एप्लीकेशन), बीएससी
14	श्री खेतेश्वर महाविद्यालय, भगवान महावीर नगर, नान्दडी, बनाड रोड जिला जोधपुर	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर	पूर्व आवंटित विषय/संकाय एवं नवीन विषय संकाय-बीएससी-आईटी, सीएस, मैथ, बीकॉम (बीएससी, ईएफएम, बिजनेस एड्0), बीए- (हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, गणित, कम्प्युटर एप्ली0, गूगोल, दर्शन शास्त्र, लोकप्रशासन)
15	ग्लोबल पी.जी कॉलेज, सुल्ताना, तहसील, चिडावा जिला झुझरू	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व आवंटित विषय/संकाय
16	मा0 बलवीर सिंह महाविद्यालय, अरसावन, कुम्हेर- भरतपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व आवंटित विषय/संकाय
17	श्री ग्लोबल महाविद्यालय, राजगढ, जिला धुरु	महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर	पूर्व आवंटित विषय/संकाय एवं नवीन विषय संकाय-कम्प्युटर, संस्कृत साहित्य, उर्दू साहित्य, भिल्लीसाइन्स, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र
18	गार्गी महिला महाविद्यालय, श्याम नगर शाहजहाँपुरा, अलवर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व आवंटित विषय/संकाय एवं नवीन विषय संकाय-विज्ञान- बायोलॉजी, गणित

SECRETARY

New Look School Society
Reg. No. 283,79-80
Banswara (Raj.)

PRINCIPAL

New Look School, PG College
Banswara, Rajasthan
Lodha, Banswara (Raj.)

निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 4 (18) आकाशि/अनु/2007/102

दिनांक:- 18/5/2012

आदेश

308

निम्नलिखित महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकादमी सत्र 2011-12 से पूर्व में आवंटित संकायों/विषयों में स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

क्र. सं.	पत्रा. सं.	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय का पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	विषय/संकाय
1	18	न्यू लुक गर्ल्स कालेज	लोधा परिसर, बांसवाड़ा	मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर	पूर्व आवंटित विषय/संकाय

नोट- संस्था 6 माह में सम्बन्धित विश्वविद्यालय से शैक्षणिक स्टॉफ का अनुमोदन पत्र प्राप्त कर संलग्न करें।

1. संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बन्धन प्राप्त करने का दायित्व स्वयं संस्था का होगा।
2. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-2 अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
3. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
4. संस्था को समय-2 पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/निदेशालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
5. संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 तथा तत्सम्बन्धी नियम 1993 के सभी उपबन्धों की निरंतर अनुपालना सुनिश्चित की जावेगी।
6. संस्था को स्थाई मान्यता इस शर्त पर जारी की जाती है कि संस्था द्वारा उपरोक्त शर्तों का कभी भी उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही कर स्थायी मान्यता को प्रत्याहरित (Withdraw) किया जा सकता है।
7. संस्था को प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार निदेशालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करना होगा।
8. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
9. विधि महाविद्यालयों को बी.सी.आई. के नियमों की निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
10. प्रति वर्ष निदेशालय से सांख्यिकी पुस्तिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनायें भरकर निदेशालय को भेजेगी।

निदेशक

कालेज शिक्षा राज0, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, बांसवाड़ा।
5. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. कुल सचिव, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर।
7. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय
8. सांख्यिकी शाखा, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त-निदेशक (अनुदान)

D:\2011-12\parmanent 1.doc

निदेशक कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

सचिव
न्यू लुक स्कूल सोसायटी
क्रमांक 336/79-80
बांसवाड़ा (राज.)

कार्यालय, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 4 (18) काशि / अनु / 2007 / 5770

दिनांक- 29-04-12

संशोधन-आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक 102 दिनांक 18.05.2012 के द्वारा न्यु लुक गल्स कॉलेज, लोधा परिसर, बांसवाड़ा को सत्र 2012-13 से स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र में पूर्व आवंटित विषय/संकाय के साथ नवीन संकाय/विषय पीजी स्तर पर एस कॉम में-एपीएसटी, ईएफएम, विज्ञानेश एडो व एमएसी आई० टी० भी पढ़ा जाये ।

निदेशक

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, मा० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शाखा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, बांसवाड़ा।
5. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (श्री-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. कुल सचिव, मोहनलाल सुखादेया विश्वविद्यालय, जयपुर।
7. सचिव संबंधित संस्था/महाविद्यालय।
8. सांख्यिकी शाखा, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. गार्ड फन्नावली।

निदेशक (अनुदान)

DIRECTOR Girls College
New Look Lodha-Banswara (Raj.)

DIRECTOR Girls College
New Look Lodha-Banswara (Raj.)

कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार

कमांक : एक 4 (23) लेखा / आकाशि / अनु / 2007-08 / 1702

दि 09 मई, 2007

आदेश

सत्र 2007-08 में **महिला क्षेत्र** में नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर निजी क्षेत्र में नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु निम्नांकित शर्तों पर निम्नलिखित संस्थाओं को उनके नाम के सम्मुख अंकित संकाय / विषय हेतु एक वर्ष के लिए अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है -

क्र. सं.	पत्रा. सं०	संस्था का नाम व पता	महाविद्यारय का नाम व पता	विश्वविद्यालय का नाम	विषय एवं संकाय (स्नातक स्तर)
1	15	मनिन्द्र बाल निकेतन समिति, चानाना, तहसील विडवा, जिला झुंझुनू	मनिन्द्र गज्ज कौलेज, चानाना, त. विडवा, जिला झुंझुनू	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	कला संकाय में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त अप्रैजी साहित्य, हिन्दी साहित्य, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, लोक प्रशासन, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, राजस्थानी, बोकेशनल कोर्स कम्प्यूटर एप्लीकेशन
2	12	स्व.कु. लक्ष्मी बंधाला शिक्षण एवं शोध संस्थान, गोविन्द गाव, जि० जयपुर	स्व.कु.लक्ष्मी बंधाला गज्ज कौलेज, गोविन्दगाव, जि० जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	कला संकाय में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त - अंग्रेजी साहित्य, हिन्दी साहित्य, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, लोक प्रशासन, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, दर्शन शास्त्र, संस्कृत साहित्य एवं बी.सी.ए.
3	20	राधाकृष्णन शिक्षण समिति, 49, लक्ष्मीनगर, श्रीगंगानगर	राधाकृष्णन कन्या महाविद्यालय, गंगानपथ, जवाहर नगर (अरोड बंस भवन), श्रीगंगानगर	श्रीकानेर विश्वविद्यालय श्रीकानेर	कला संकाय में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त - अंग्रेजी साहित्य, हिन्दी साहित्य, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, संस्कृत साहित्य, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, गणित, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, गणित, भौतिक शास्त्र, बायोटेक्नालाजी, बायोकेम्स्ट्री
4	6	न्यू लुक स्कूल सासायटी, न्यू लुक स्कूल, कोठारी हबेली, ओसायल बाडा, बांसवाडा	न्यू लुक गज्ज कौलेज, लोधा परिसर, बांसवाडा	एम.एल.एस. विश्वविद्यालय उदयपुर	कला संकाय में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त - अंग्रेजी साहित्य, हिन्दी साहित्य, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, संस्कृत साहित्य, उर्दू साहित्य, चित्रकला, दर्शन शास्त्र, संगीत

- संस्था को एक वर्ष की अवधि में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार स्वयं की भूमि पर भवन निर्माण का कार्य पूर्ण करना होगा तथा अन्य आधारभूत संरचना के कार्य भी पूर्ण करने होंगे। तत्पश्चात संस्था को इसके निरीक्षण हेतु इस कार्यालय को सूचित करना होगा।
- संस्था / महाविद्यालय को यू.जी.सी. द्वारा समय-समय पर जारी विनियमों / दिशा-निर्देशों की शब्दशः पालना करनी होगी।
- अस्थाई परिसर में संस्था / महाविद्यालय को प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी तथा प्रथम वर्ष / पूर्वार्द्धकी कक्षाएं चलाने हेतु पर्याप्त भवन उपलब्ध होना आवश्यक है। इसी प्रकार अगले वर्षों में चलायी जाने वाली कक्षाओं के लिए तदनुसार वर्ष में भवन उपलब्ध होना आवश्यक है।
- शिक्षण व अन्य शुल्क बाबत राज्य सरकार के निर्णयों को लागू करने हेतु संस्था व महाविद्यालय बाध्य होंगे।
- छात्रों के प्रवेश से पूर्व महाविद्यालय को सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता (Affiliation) प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- स्वीकृत पाठ्यक्रमों हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- महाविद्यालय में प्रवेश प्रदान करने से पूर्व निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सुविधाओं को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सम्बद्धन प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय की होगी।

8. राज्य सरकार द्वारा वर्तमान एवं भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई अनुदान उक्त संस्था / महाविद्यालय को देय नहीं होगा ।
9. आवश्यकतानुसार आयुक्त कार्यालयय द्वारा अधिभूत अधिकारी द्वारा संस्था / महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था / महाविद्यालय अधिभूत अधिकारी द्वारा चाहा गया अधिलेख उपलब्ध करायेंगा ।
10. अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि हेतु महाविद्यालय को प्रति वर्ष 1 जुलाई से 30 सितम्बर के बीच आवेदन करना होगा ।
11. स्वीकृत पाठ्यक्रमों के लिए महाविद्यालय में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं (मय यूजीसी द्वारा निर्धारित योग्यताधारी शिक्षकों तथा कम्प्यूटर कोर्स हेतु यूजीसी योग्यताधारी नहीं होने पर एआईसीटीई द्वारा निर्धारित योग्यता वाले शिक्षक) के सम्बन्ध में एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करने की सुनिश्चितता से संस्था / महाविद्यालय द्वारा कॉलेज शिक्षा विभाग को अवगत करवाना आवश्यक होगा ।
12. संकाय / विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित किया जायेगा तथा महाविद्यालय द्वारा तदनुसार संख्या सीमा में ही छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा ।
13. संस्था द्वारा स्थायी जमा में जमा करायी गई राशि 5 वर्ष तक जमा रखनी होगी तथा प्रत्येक 5 वर्ष बाद उसका नवीनीकरण करया जावेगा ।
14. संस्था द्वारा विश्वविद्यालय एवं संस्था के संयुक्त खाते में निर्धारित एण्डोमेंट राशि जमा करानी होगी ।
15. तीन वर्ष की अवधि के उपरान्त स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करना आवश्यक है ।
16. संस्था को महाविद्यालय का वर्ष में एक बार निरीक्षण करवाना अनिवार्य होगा, इस हेतु संस्था द्वारा इस विभाग को सूचित करना होगा ।
17. संस्था आयुक्तालय से सांख्यिकी पुरस्तिका प्रतिवर्ष प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयावधि में जमा करायेंगी ।
18. उपरोक्त शर्तों के पालना नहीं करने पर राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् जारी किये गये अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त किया जा सकेगा ।

श्री
(पवन कुमार गोयल)

आयुक्त

दि 09 मई, 2007

- कमाक : एक 4 (23) लेखा/आकाशि/अनु/2007-08/1702
- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूत्रनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -
1. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
 2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
 3. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
 4. उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
 5. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर / बीकानेर विश्वविद्यालय, बीकानेर / एम.एल.एस. विश्वविद्यालय, उदयपुर।
 6. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा(ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
 7. जिला कलेक्टर, जयपुर / झुंझुनु / श्रीगंगानगर / बांसवाडा।
 8. सम्बन्धित महाविद्यालय।
 9. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
 10. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
 11. संबंधित संस्था / महाविद्यालय पत्रावली।
 12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त-निदेशक (अनुदान),
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

आदेश

निम्नलिखित महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकादमी सत्र 2008-09 हेतु अरथाई अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है-

क्र.सं.	पत्रा. सं.	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय का पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	विषय / संकाय
1	444	न्यू लुक गर्ल्स कालेज	लोधा परिसर, बांसवाड़ा	एम.एल.एस. विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व संचालित विषय संकाय

1. संस्था सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकारण में की.सी.आई. से विश्वविद्यालय सम्बद्धता पर अनुमोदन भी प्राप्त करेगी।
2. महाविद्यालय द्वारा सत्र 2009-10 में केवल पाठ्य द्वितीय/तृतीय/स्नातकोत्तर उत्तरार्ध और सत्र 2010-11 में केवल पाठ्य तृतीय में छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा।
3. आगामी सत्रों में पाठ्य प्रथम/स्नातकोत्तर पूर्वार्ध पुनः प्रारम्भ करने हेतु राजस्थान और राजकीय शैक्षिक संस्था नियम 1993 के नियम 5 (i) एवं परिशिष्ट - द्वितीय में उल्लिखित भूमि भवन, स्टाफ व अन्य समस्त शर्तों की पूर्ण अनुपालना नियमानुसार सुनिश्चित करने के उपरान्त ही नये सिरे से निर्धारित समय पर निर्धारित प्रक्रिया से आवेदन प्रस्तुत कर पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
4. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
5. संस्था राज्य सरकार एवं कॉलेज शिक्षा के सभी निर्देशों की पालना करेगी।
6. संस्था भविष्य में समय पर सभी मापदण्डों की पूर्ति कर एन.ओ.सी. अभिवृद्धि करने हेतु आवेदन करेगी।
7. संस्था प्राचार्य एवं व्याख्याताओं की नियुक्ति पर सम्बद्ध विश्वविद्यालय का अनुमोदन प्रस्तुत करेगी।
8. संस्था आयुक्तालय से सांख्यिकी पुस्तिका प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयवाधि में जमा करायेंगी।

(पवन कुमार गोयल)
आयुक्त

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. जिला कलेक्टर, बांसवाड़ा।
6. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. कुल सचिव, एम.एल.एस. विश्वविद्यालय, जयपुर।
8. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय (रजिस्टर्ड ए.डी.)
9. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10. संचालित संस्था / महाविद्यालय पत्रावली।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त-निदेशक (अनुमोदन),
कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

SECRETARY

New Look School Society

Reg. No.-33579-80

Banswara (Raj.)

PRINCIPAL

New Look Girl's PG College

Lodha, Banswara (Raj.)

आदेश

निम्नलिखित महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकादमी क्र 2009-10 हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत वृत्ति जागो है-

क्र.सं.	पत्रा. सं.	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय का पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	विषय / संकाय
1.	18	न्यू लुक ग्रॅजुएट कॉलेज	लोधा परिसर, दासवाड़ा	एम एल एम विश्वविद्यालय, उदयपुर	पूर्व संघालित संकाय एवं विषय तथा नवीन, विषय- बीबीएम, पीजीडीसीए

1. संस्था सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकार में बी.सी.आर्द. में विश्वविद्यालय सम्बद्धता पर अनुमोदन भी प्राप्त करेगी।
2. आगामी सत्रों में फर्ट प्रथम/स्नातकोत्तर पूर्वाह्न पुनः प्रारम्भ करने हेतु राजस्थान शैक्षिक संस्था नियम 1993 के नियम 5 (i) एवं परिशिष्ट - द्वितीय में उल्लिखित श्रुति भवनों, स्टाफ व अन्य सामस्त शर्तों की पूर्ण अनुपालना नियमानुसार सुनिश्चित करने के उपरान्त ही नये सत्रों से निर्धारित समय पर निर्धारित प्रक्रिया से आवेदन प्रस्तुत कर पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
3. राज्य सरकार संस्था को गर्तमान व गविच में इस हेतु कोई विलीयं सहमति नहीं दगी।
4. संस्था राज्य सरकार एवं कॉलेज शिक्षा के सभी निर्देशों की पालना करेगी।
5. संस्था गविच में समय पर सभी भण्डारों की पूर्ति कर एन.ओ.सी. अभिवृद्धि करने हेतु आवेदन करेगी।
6. संस्था प्रचार्य एवं थायलागाओं की नियुक्ति पर सम्बद्ध विश्वविद्यालय का अनुमोदन प्रस्तुत करेगी।
7. संस्था आयुक्तालय से संबंधित पुरस्कार फार्म भर पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयवाधि में जमा करावेगी।

(संशोधक वरिष्ठ)
आयुक्त

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेषित है -

1. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, उदयपुर।
5. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (गुण-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. कुल सचिव, एम एल एम विश्वविद्यालय, उदयपुर।
7. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय (सिस्टिस्टर्ड ए.डी.)
8. सचिव/पी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. संबंधित संस्था / महाविद्यालय पत्रावली।
10. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त-निदेशक (अनुदान).

SECRETARY
New Look School Society
Reg. No.-336179-80
Banswara (Raj.)

PRINCIPAL
New Look Girls PG College
Lodha, Banswara (Raj.)

निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

कमाक : एक 4 (पीएलसी) आकाशि/अनु/09/189

दिनांक:- 3/3/2011

आदेश

निम्नलिखित महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकादमी सत्र 2011-12 के लिए अर्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र में सशर्त अभिवृद्धि निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है-

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम व पता	संरक्षित महाविद्यालय का नाम	विषय संकाय (नवीन विषय केवल स्नातक स्तर पर)
1	विनायक गार्ल्स कॉलेज धौमु जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व आवंटित विषय /संकास एवं नवीन विषय संकाय-भाषाज्य (एंग्लिसटी, इंग्लिश, विज्ञान एड0.)
2	गुडा बालिका महाविद्यालय, गुलगाँवजी, झुझरू	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व आवंटित विषय /संकाय
3	श्री बार्क बिहारी महाविद्यालय, धौलपुर रोड, राजाखेडा- धौलपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व आवंटित विषय /संकाय
4	रामचन्द्र गायनका डिग्री कॉलेज, झुझरू रोड, झुझरू	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व आवंटित विषय /संकाय
5	आर्च एकेडमी ऑफ फेशन आर्ट एण्ड डिजाईन, 9, गोविंद मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व आवंटित विषय /संकाय एवं नवीन विषय संकाय बर्षीर
6	एक्सीलेंस गार्ल्स कॉलेज, सालासर रोड, नेहरू पार्क के सामने, सीकर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व आवंटित विषय /संकास एवं नवीन विषय संकाय-बीएससी बॉयलगाँजी,
7	श्री स्कूट गार्ल्स कॉलेज, लोधा केम्पस, बॉसवाडा	मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर	पूर्व आवंटित विषय /संकाय
8	नाथद्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलोजी एण्ड मैनेजमेंट उपत्ती ओडन, नाथद्वारा जिला राजसमन्द	मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर	पूर्व आवंटित विषय /संकास एवं नवीन विषय संकाय-बीएससी मैथेमेटीक्स यूजी डीएलोगा टेस्टटर्डल डिजाईनिंग, कैपीटल मार्केट, फाईनेसियल मार्केट, अग्रेजी भाषा
9	अरावली महाविद्यालय, करटम चौराहा, दाशेद रोड, वन विभाग के सामने, बोंसवाडा	मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर	पूर्व आवंटित विषय /संकास एवं नवीन विषय संकाय-भाईको बॉयलगाँजी, अर्थशास्त्र शास्त्र,लोक प्रशा0
10	एल.बी.एस महाविद्यालय, देवगढ दरवाजा, प्रतापगढ	मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर	पूर्व आवंटित विषय /संकास एवं नवीन विषय संकाय-भाईको बॉयलगाँजी, अर्थशास्त्र
11	एमिनेन्ट एकेडमीक गार्ल्स कॉलेज, जयपुर रोड, डिग्री मालपुरा, टोक	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर	पूर्व आवंटित विषय /संकाय
12	भगवान महावीर कॉलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, 41 हीरा नगर, गांधालपुरा गाईपास, जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व आवंटित विषय /संकाय
13	सन श्री प्राणनाथ परनामी पी.जी महाविद्यालय, जैतसर रोड, पदमपुर, श्रीगंगानगर	महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर	पूर्व आवंटित विषय /संकाय एवं नवीन विषय संकाय-कला (कम्प्युटर एप्लीकेशन) बीएससी
14	श्री खेतरवर महाविद्यालय, भगवान महावीर नगर, नान्दडी, वनाड रोड जिला जोधपुर	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर	पूर्व आवंटित विषय /संकास एवं नवीन विषय संकाय-बीएससी- आईटी, सीएस, मैथ, बीकॉन (एंग्लिसटी, इंग्लिश, विज्ञान एड0), बीए- (हिन्दी साहित्य, अग्रेजी साहित्य, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, गणित, कम्प्युटर एप्ली0, गुराेल, दर्शन शास्त्र, लोकप्रशासन)
15	लावल पी.जी कॉलेज, सुल्ताना, तहसील, जिजावा जिला झुझरू	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व आवंटित विषय /संकाय
No	मा0 बलवीर सिंह महाविद्यालय, अस्तावन, कुम्हर- भरतपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व आवंटित विषय /संकाय
SECRETARY	श्री लावल महाविद्यालय, राजाव, जिला झुझरू	महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर	पूर्व आवंटित विषय /संकास एवं नवीन विषय संकाय-कम्प्युटर, संस्कृत साहित्य, उर्दू साहित्य हिन्दीसाइन्स, समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र
18	गार्गी महिला महाविद्यालय, रथाम नगर शाहजहाँपुरा, आलवर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व आवंटित विषय /संकास एवं नवीन विषय संकाय-विज्ञान- बर्षीर, B.Tech (Raj.)

SECRETARY
Look School, Social
Jalgaon, Raj.
Jodhpur-342005

PRINCIPAL
PG College
(Raj.)